Title: Regarding business of the house and consideration of the Ordinance.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, two issues cannot be taken up at a time. Let this issue be first taken up. आज सरकार द्वारा जो ऑर्डिनेंस सभा पटल पर रखा गया था, हम सब उसका पूरा विरोध करते हैं और इसलिए विरोध करते हैं...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): यह विषय सदन में आएगा। जब स्पीकर महोदया ने यह विलयर कर दिया कि यह ऑर्डिनेंस हैं, जब बिल लाया जाएगा तो उस पर चर्चा होगी। अगर इस पुकार से पृथा तोड़कर बहुस शुरू कराएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: First you speak and then I will allow Shri Venugopal.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I am on the same subject.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I will allow you as well. Please take your seat. Now during this `Zero Hour' I am allowing one or two people. First let Shri Kharge speak.

श्री मिल्तिकार्जुन खड़ने : भेरा यह कहना है कि यह जो ऑर्डिनेंस सभा पटल पर रखा गया है, आप कहेंने कि रूटस के मुताबिक इसे रखना चाहिए इसिलए रखा है। हमारा कहना यह है कि इस ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं थी, वयोंकि यह ऑर्डिनेंस आप जबर्टस्ती बार-बार लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो ऑर्डिनेंस हैं, एक बार पहले भी बिल के रूप में इस सदन में रखा गया। उस तक भी विरोध पक्ष के सभी सदस्यों ने और उधर के भी काफी सदस्यों ने उसका विरोध किया था...(व्यवधान) इसके बावजूद यह पास हुआ और पास होने के बाद राज्य सभा में चला गया। जब राज्य सभा में चला गया तो वहां के सदस्यों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया और यह बिल गिर गया। आपने 20 तारीख को दोनों सदन, राज्य सभा और लोक सभा को पुन: समवेत करने की तारीख तय की थीं। तेकिन आपने राज्य सभा को पूरेग करके 23 तारीख तक के लिए एक्सटेंड किया, जबिक 20 तारीख से इस सदन की बैठक रखी ताकि आप इस ऑर्डिनेंस को, जो कि जनता की मंशा के खिलाफ हैं, उसको ला सकें। आप बेक डोर से आना चाहते हैं और बेक डोर से इस कानून को लाना चाहते हैं। इससे आपकी हठधमीं साबित होती है कि किसी न किसी तरीक से इसे पास कराया जाए।...(व्यवधान) इसके विरोध में हम सभी हैं और यह चाहते हैं कि आप इसे वापस लें।...(व्यवधान) साथ ही देश की जनता यह चाहती है कि वर्ष 2013 का जो कानून है, उसी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि वह किसानों के फायदे का है, सभी के लिए अच्छा है, उसे सभी ने स्वीकार किया है और आपने भी उसे स्वीकार किया हैं।...(व्यवधान) राज्य सभा और लोक सभा में बीजेपी के नेताओं ने एकमत होकर वर्ष 2013 के इस कानून को पास किया हैं।...(व्यवधान) इस यह वाहते हैं कि आप इसे विद्शू कीजए।...(व्यवधान) हम बंदीपाश्याय जी और अन्य नेतागण से बात करने के बाद इस पर निर्णय लेंगे। निर्णय लेंने के बाद विचार पूकर करेंने, यही हम सब का विचार हैं।

श्री राजीव पूताप रूडी : महोदय, आपने शून्य काल में इस विषय को उठाने की अनुमति दी हैं।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश वैधानिक है और इस विषय पर पूर्व में विमर्श हो चुका हैं। वैधानिक पूक्तिया को पूरा करने के लिए यह अध्यादेश सदन में लाया गया है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सदन में खड़ने साहब जो विषय रख रहे हैं, यह पूरी तरह से राजनीति से पूरित हैं।...(व्यवधान) मैं पवके तौर से यह कह सकता हूं कि सरकार इस देश में जो भी काम करेगी, वह गरीबों के लिए करेगी, किसानों के लिए करेगी....(व्यवधान) यह सरकार गरीबों और किसानों के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही हैं।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि जो वैधानिक पूक्तिया है, उसको पूरा करने की दिशा में हम लोगों ने यह कार्यवाही की है और अध्यादेश को सभा पटल पर रखा गया हैं।...(व्यवधान) जब अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया जाएगा तब इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Is there any sequence? The leader of major Opposition talks on one issue. Then you have an issue about Andhra Pradesh. Then the third person comes back to the same issue. Is there any sequence in this House? ...(Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: The Minister cannot say so. ...(Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Is this a discussion on land acquisition? Once a Member has raised a matter under 'Zero Hour', the second Member associates. You have to protect the House. ...(*Interruptions*) It is not the question of giving two minutes. Precedents cannot be changed. This is not the way the House can be run. When the hon. Member has already spoken on land acquisition, when the second Member has raised the issue about Andhra Pradesh, how can the third Member again go back to the issue of land acquisition? Is there a sequence? ...(*Interruptions*) Of course, we have to obey what you say. I understand that. But there has to be some sequence of issues in the House. How can you allow different subjects being linked to each other to be taken up? There are precedents. This is not the correct way of doing things in the House. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let him say what he wants to say. Shri Sudip Bandyopadhyay, please conclude within one minute.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: I oppose the fact that Minister is challenging your authority. ...(Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: No, he is not challenging.

...(Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: I will conclude in one or half a minute. ... (Interruptions)

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 was debated on the floor of the House on 29th August, 2013. It was voted. The voting result was, Ayes: 216 and Noes: 19. I moved an amendment. That amendment was voted. The Trinamool Congress opposed it. Our leader, Kumari Mamata Banerjee, held a rally opposing this Ordinance, which has been introduced. We totally oppose this. We the Members of the Trinamool Congress walk out in protest against this Ordinance.

14.14 hrs

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is an Ordinance raj. We also oppose this and walk out in protest.

14.14 Â1/2 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The only submission which I would like to make to the House is the statement made by the Leader of the Congress Party in Rajya Sabha on 10.3.2015. I would like to bring it on record.

Shri Ghulam Nabi Azad who is the Leader of the Congress Party in Rajya Sabha had said: "Who stops the Government? Once we are done with the first half of the Session, you can go for the second Ordinance and nothing will change." It is the statement made by Shri Ghulam Nabi Azad in the other House.

It is the statement made by the leader of the Congress Party itself. So, this is just to bring facts on record of what they had to say as far as the Ordinance is concerned. This is a legitimate act on the part of the Government to bring the Ordinance. Once an Ordinance has been brought, it has to be positioned in the House and that is the only process which has been completed.